कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय{सीपीसी} की बैठक सं0 26/2000 दिनांक 25-2-2000 को सायं 4.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण :-

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया -

1- श्री के.पी. सिंघल, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
2- श्री ए.के. गुप्ता, निदेशक {आयोजना} जविप्रा, जयपुर ।
3- श्री पी.आर. शर्मा, निदेशक {वित्त} जविप्रा, जयपुर ।
4- श्री एस.एल. माथुर, निदेशक {अभियांत्रिकी} जविप्रा, जयपुर ।
5- श्री ए.एन. भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक{सीपी} जविप्रा, जयपुर ।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे :-

1- श्री पी.अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक{एम.पी.} जविप्रा, जयपुर ।
2- श्री अनिल गुप्ता, उपायुक्त, जोन बी-2, जविप्रा, जयपुर ।
3- श्री ओ.पी. खड़गावत, उपायुक्त, जोन बी-3, जविप्रा, जयपुर ।
4- श्री डी.एन. पाण्डे, उपायुक्त, जोन सी-1, जविप्रा, जयपुर ।
5- श्री बंशीधर जाट, उप नगर नियोजक, जोन सी-1, जविप्रा, जयपुर ।
6- श्री मुकेश मित्तल, सहायक नगर नियोजक{सीपी} जविप्रा, जयपुर ।

{1} बीपीसी-II{सीपीसी} की बैठक सं0 25/2000 दिनांक 24-2-2000 का कार्यवाही विवरण समिति के पुष्टिकरण हेतु :

समिति द्वारा कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गयी ।

{2} विभिन्न उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों पर विचार-विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये :-

2.1- एजेण्डा सं0 26/2000-1 :- गुलाबबाडी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गुरु जमवेश्वर नगर "ए" {जोन बी-2} :-

उपायुक्त, जोन बी-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार कर भूखण्ड सं0 1 {एक} के आकार 50'x 90' की पुष्टि की गयी । इस भूखण्ड के पूर्व में 100 फिट चौड़ी सड़क स्थित है जो स्थल मानचित्र में दर्शायी जाए।

59

2•2- एजेण्डा सं0 26/2000-2 :- बजाज नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना मधुबन कॉलोनी (स्कीम नं0 3 ई साउथ)(जोन बी-2) :-

उपायुक्त, जोन बी-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार कर अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भूखण्ड सं0 ई-13 के स्थान पर भूखण्ड संख्या ई-13ए एवं ई-13 बी अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया ।

2•3- एजेण्डा सं0 26/2000-3 :- गुलाब बाड़ी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना अवधपुरी (जोन बी-3) :-

उपायुक्त, जोन बी-3 द्वारा बताया गया कि स्वीकृत मानचित्र में दर्शाये गये भूखण्ड तथा मौके पर उपलब्ध भूखण्डों के आकारों में कुछ भिन्नता है । सड़कों की प्लानिंग (ROAD STRUCTURE) मूल रूप से स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही है । फैसिलिटी एरिया में भी भूखण्ड काटे गये हैं । बाद विचार पश्चात् निर्णय लिया गया कि सड़कों की प्लानिंग (ROAD STRUCTURE) व सुविधा क्षेत्र को पूर्व स्वीकृत मानचित्र के अनुसार यथावत रखते हुए शेष भूमि पर काटे हुए भूखण्डों के मौके की स्थिति के अनुसार पट्टे जारी कर दिए जाये व उसके अनुसार ही संशोधित मानचित्र उपायुक्त, जोन बी-3 द्वारा स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाए । मौके की स्थिति के अनुसार सड़कों के एलाइन्मेन्ट (ALLIGNMENT) व उनके विस्तार में जो अन्तर है उसे संशोधित मानचित्र में समायोजित कर लिया जाये ।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई ।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(सीपीसी)
जविप्रा, जयपुर ।

क्रमांक: एफ-11(14)जविप्रा/वनि/सीपी/26/2000/डी- 71
दिनांक : 26-2-2000
प्रतिलिपि:-

1- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर ।
2- निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
3- निदेशक(आयोजना)/(वित्त)/(विधि)/(अभियांत्रिकी) जविप्रा, जयपुर ।
4- अति0आयुक्त(भूमि एवं योजनाएं) जविप्रा, जयपुर